

इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा-4 (1) b-1

संगठन, कृत्य तथा कर्तव्यों की विशिष्टताएं

1 प्रस्तावना :-

इ.वि.प्रा., इन्दौर का गठन म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा दिनांक 09-05-1977 को किया गया है। प्राधिकारी को विकास योजना में प्रस्थापना को क्रियान्वित करने, एक या अधिक नगर विकास योजना तैयार करने, विस्तार या सुधार के लिए भूमि अर्जन करने तथा उसका विकास करने का कर्तव्य के अधिकार प्राप्त हैं।

2 संरचना :-

इ.वि.प्रा. में समय-समय पर संचालक मण्डल जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 5 अशासकीय सदस्य सम्मिलित हैं, की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर, इन्दौर नगर पालिक निगम के आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी, वन विभाग, लो.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी सदस्य होते हैं।

वर्तमान संचालक मण्डल निम्नानुसार है :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1-- श्री शंकर लालवानी | — अध्यक्ष |
| 2-- श्री निशांत वरवड़े | — कलेक्टर (सदस्य) |
| 3-- श्री पुरुषोत्तम धीमान | — मुख्य वन संरक्षक (सदस्य) |
| 4-- श्री राजेश नागल | — संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश |
| 5-- श्री आशीष सिंह | — आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर |
| 6-- श्री डी.के.रत्नावत | — अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग |
| 7-- श्री मनोज पुराणिक | — मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग |
| 8-- श्री कुमार पुरुषोत्तम, मु.का.अ. | — सदस्य सचिव |
| 9-- श्री गजरा मेहता | — मुख्य अभियंता/कार्य.निदेशक, म.प्र.वि.वि.कं.लि. |

संचालक मण्डल के सचिव प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होते हैं एवं दैनंदिनी के कार्यों का संचालन/पर्यवेक्षण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्य शासन को नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 52 के तहत निर्देश देने की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत प्राधिकारी के नीतिगत कार्यों की अनुमति राज्य शासन से प्राप्त की जाती है। प्राधिकारी ने अपने कार्य को सुचारु रूप से निर्वाहन करने के लिए अपने कृत्यों को 9 विभागों में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार हैं :

1) भू-अर्जन शाखा :-

इस शाखा के मुखिया भू-अर्जन अधिकारी होते हैं। इस शाखा का मुख्य कार्य नगर विकास योजना या अन्य सार्वजनिक उपयोग जो मास्टर प्लान में निहित हो उक्त बाबत योजना घोषित कर यथायोग्य तरीके से भूमि का अर्जन करना एवं भूमि योजना क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना है।

2) योजना शाखा :-

योजना शाखा के मुखिया मुख्य नगर नियोजक होते हैं। योजना शाखा का मुख्य कार्य अर्जित भूमि पर योजनाओं का अभिन्यास स्वीकृति एवं अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त कर क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराना है। साथ ही उक्त शाखा का कार्य मास्टर प्लान के अंतर्गत नियोजित विकास करने में मास्टर प्लान के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है।

3) तकनीकी शाखा :-

तकनीकी शाखा के मुखिया मुख्य अभियंता होते हैं। तकनीकी शाखा का मुख्य कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु गुणवत्तापूर्वक विकास कार्य किया जाना है। योजनाओं के अतिरिक्त गैर योजना मद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों का भी क्रियान्वयन इस शाखा द्वारा किया जाता है, तकनीकी शाखा के अंतर्गत विकास की गई योजनाओं का संधारण इं.न.पा.नि., इन्दौर को स्थानांतरित होने तक किया जाता है। साथ ही अमानती कार्य के रूप में निर्माण भी किया जाता है।

4) वित्त एवं लेखा शाखा :-

वित्त एवं लेखा शाखा के मुखिया प्रथम ग्रेड के लेखाधिकारी होते हैं। शाखा का मुख्य कार्य बजट बनाकर संस्था के आय एवं व्यय संबंधी कार्यवाही का संचालन, पर्यवेक्षण किया जाता है।

5) संपदा शाखा :-

संपदा शाखा के प्रमुख संपदा अधिकारी होते हैं। शाखा का मुख्य कार्य विकास पश्चात् उपलब्ध व्ययन योग्य संपत्तियाँ म.प्र. शासन द्वारा अनुमोदित व्ययन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप लीज द्वारा विक्रय एवं विक्रय पश्चात् लीज की शर्तों के अनुरूप प्रकरणों का पर्यवेक्षण, नामांतरण एवं निराकरण सम्मिलित है।

6) प्रशासन शाखा :-

इस शाखा के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होते हैं। शाखा का प्रमुख कार्य मानव संसाधन के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाकाल से संबंधित प्रकरण, जन संपर्क, जन सुनवाई, सेवा पुस्तिकाओं का संधारण, स्टेशनरी स्टोर आदि एवं राज्य शासन द्वारा दिए गये निर्देशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना है।

7) कम्प्यूटर शाखा :-

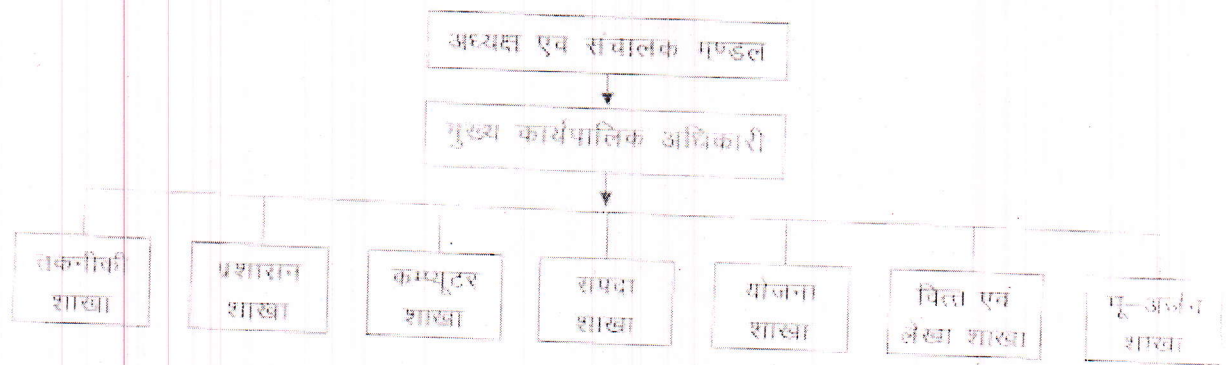
कम्प्यूटर शाखा के प्रमुख ई.डी.पी. मैनेजर होते हैं। शाखा का प्रमुख कार्य ई-टेण्डर प्रक्रिया, लीज संबंधी बिल, विभिन्न शाखाओं से संबंधित कम्प्यूटर के कार्य किये जाते हैं।

8) विधि शाखा :-

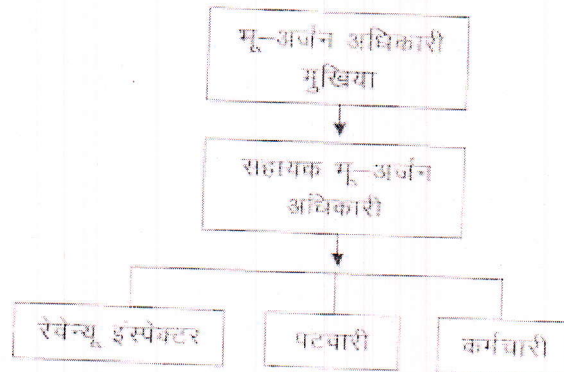
विधि शाखा के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। शाखा का प्रमुख कार्य विधि प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण का पक्ष प्रस्तुत करना। प्रकरण में विधिक राय सहित अन्य कानूनी कार्य है।

9) लोक सूचना शाखा, जन सूचना एवं मार्केटिंग-

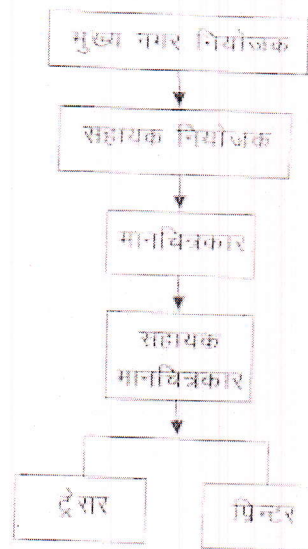
संरचना का श्रेणीबद्ध मानचित्र निम्नानुसार है :-



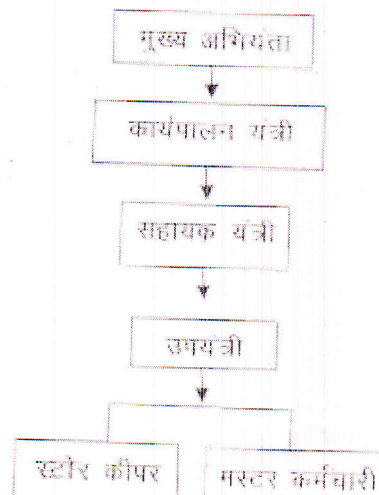
(1) मू-अर्जन शाखा



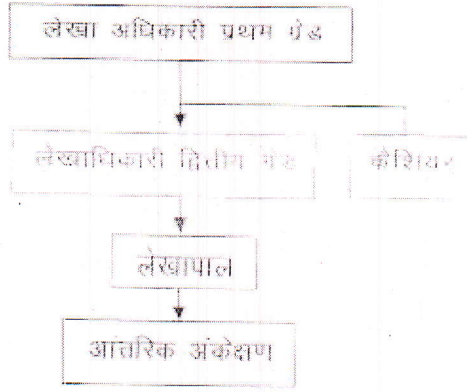
(2) योजना शाखा



(3) तकनीकी शाखा



(4) वित्त एवं लेखा शाखा



(5) संपदा शाखा

